#### "प्ररूप 4क

# [नियम 10क(1)(ग) देखें] नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अ धनियम, 1955 की धारा 5(1)(घ) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले अप्राप्तवय बालक का अ धनियम की धारा 6ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन

टिप्पण : कृपया स्पष्ट अक्षरों में लखें/प्रंट करें

## भाग ।

फोटो

1.	अवयस्क बालक का पूरा नाम :						
2.	लंग :						
3.	जन्म का स्थान और देश						
4.	जन्म की तारीख :						
5.	पहचान चहन						
6.	वर्तमान पता						
7.	(i) पता का पूरा नाम :						
	(ii) भारत का जन्म/वंश/रजिस्ट्रीकरण*/देशीयकरण* से नागरिक:						
	(iii) उपजी वका :						
	(iv) पासपोर्ट की व शष्टियां (यदि उपलब्ध हों) :						
	(क) देश (ख) संख्या						
(v) वीजा जब तक वैध है (यदि उपलब्ध हो)							
8.	(i) माता का पूरा नाम :						
	" (ii) भारत का जन्म/वंश/ रजिस्ट्रीकरण*/देशीयकरण* से नागरिक:						
	(iii) उपजी वका:						
	(iv) पासपोर्ट की व शष्टियां (यदि उपलब्ध हों) :						
	(क) देश (ख) संख्यांक :						
(v) वीजा जब तक वैध है (यदि उपलब्ध हो)							
9.	कृपया	वनिर्दिष्ट करे क अ	गप अफगानिस्तान, बंग	ालादेश और पा क	स्तान से कस		
	अल्पसंख्यक सम्दाय, अर्थात्, हिन्दू, सख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से						
		考:					
10.	भारत मे	i प्रवेश की तारीखः					
11.अपर	ा धक व	नार्यवाहियों का ब्यौर	ा, यदि कोई हो				
क्रम.	अपरा	धक कार्यवाहियों	मामला दर्ज करने की	मामले की	न्यायालय का		
सं.	की	प्रकृति	तारीख और स्थान	वर्तमान	निर्णय		
				प्रस्थिति			
	<u> </u>						

I	2	3	4	5		

#### भाग II

- 12. मैं, ...... भारत का नागरिक और ...... का माता-पता अ भभावक ...... जिससे पूर्वगामी व शष्टियां संबंधत हैं, में अपने बालक की ओर से भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन करता हूं ।
- 13. मैं, घोषणा करता हूं क मेरा आशय भारत को मेरे बालक के संबंध में स्थायी घर बनाने का है और मैं यह वचन देता हूं क आवेदन के अनुमोदित होने की दशा में उसके देश की नागरिकता अप्रतिसंहरणीय रूप से त्यागी मानी जाएगी और वह भ वष्य में इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगा।

तारीख ...... माता- पता अ भभावक के हस्ताक्षर .....

14. मैं, सत्यनिष्ठा से और निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं क आवेदन में कथत पूर्वगामी व शष्टियां सत्य है और मैं यह सत्यनिष्ठ घोषणा ववेकपूर्ण यह वश्वास करते हुए कर रहा हूं क वह सत्य है।

तारीख ...... माता- पता अ भभावक के हस्ताक्षर ......

आज तारीख... .. .. . . . . . . . . . को मेरे समक्ष की गई और हस्ताक्षरित की गई।

\*\*हस्ताक्षर

\*\*पदनाम

'यदि भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण से है तो, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण के प्रमाणपत्र का नंबर और तारीख व र्णत करें ।

"नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधकृत अधकारी का हस्ताक्षर और पदनाम ।

(सभी प्रकार से पूर्ण यह प्ररूप नियम 11क के अधीन उस नामनिर्दिष्ट अ धकारी को, नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समित को प्रेषत करने के लए, प्रस्तुत कया जाना चाहिए, जिसकी अ धकारिता में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न कए जाने वाले दस्तावेज

- I. अन्सूची 1क में के कसी दस्तावेज की प्रति
- 2. अन्सूची 1 ख में के कसी दस्तावेज की प्रति
- 3. अनुसूची 1 ग के अनुसार प्रारूप में शपथ-पत्र
- 4. वैध या समाप्त हुए वदेशी पासपोर्ट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 5. वैध या समाप्त ह्ए निवासी पर मट की प्रति, यदि उपलब्ध हो

- 6. माता- पता, दोनों की भारतीय नागरिकता का सब्त अर्थात् भारतीय पासपोर्ट जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति
- 7. अ भभावक की दशा में अ भभावकता का सबूत संलग्न करें ";

## "अनुसूची 1क [नियम 10क देखें] नागरिकता नियम, 2009

यह साबित करने के लए दस्तावेजों की सूची क आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान का नागरिक है [धारा 6ख के अधीन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लए]

- 1. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
- 2. भारत में वदेशी प्रादे शक रजिस्ट्रीकरण अधकारी (एफआरआरओ) या वदेशी रजिस्ट्रीकरण अधकारी (एफआरओ) द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय पर मट
- 3. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान में कसी सरकारी प्रा धकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- 4. अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पा कस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या वश्व वद्यालय प्राधकारी द्वारा जारी स्कूल प्रमाण पत्र या शैक्षक प्रमाण पत्र
- 5. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान सरकार या इन देशों से कोई अन्य सरकारी प्रा धकरण या सरकारी अ भकरण दवारा जारी कसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान के सरकारी प्रा धकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
- 7. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान में भूम या करायेदारी अ भलेख
- 8. कोई भी दस्तावेज़ जो दर्शाता हो क आवेदक के माता- पता या दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई एक, तीन देशों अर्थात अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान में से कसी एक का नागरिक है या रहा है
- 9. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान में सरकारी प्रा धकरण या सरकारी अ भकरण द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज़ जो यह स्था पत करेगा क आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान से है

टिप्पण : उपरोक्त दस्तावेज़ उनकी वैधता अव ध के पश्चात भी स्वीकार्य होंगे।

# अनुसूची 1ख [नियम 10क देखें]

## नागरिकता नियम, 2009

यह साबित करने के लए दस्तावेजों की सूची क आवेदक ने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कया है[धारा 6ख के अधीन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लए]

- 1. भारत आगमन पर वीज़ा और आव्रजन टिकट की प्रति
- 2. वदेशी प्रादे शक रजिस्ट्रीकरण अधकारी (एफआरआरओ) या भारत में वदेशी रजिस्ट्रीकरण अधकारी (एफआरओ) दवारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय पर मट।
- जनगणना संबंधत सर्वेक्षण करते समय भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची
- 4. भारत में सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या पर मट (चालक अनुज्ञप्ति सहित, आधार कार्ड आदि)
- 5. आवेदक का भारत में जारी कया गया राशन कार्ड
- 6. सरकार या न्यायालय द्वारा शासकीय स्टाम्प के साथ आवेदक को जारी कया गया कोई पत्र ।
- 7. भारत में जारी आवेदक का जन्म प्रमाणपत्र ।
- 8. आवेदक के नाम पर भारत में भू म या कराएदारी अ भलेख या रजिस्टर कराया करार ।
- 9. जारी करने की तारीख के साथ पैन कार्ड जारी करने वाला दस्तावेज ।
- 10. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कसी अन्य वत्तीय संस्था जैसे बैंक या कसी अन्य लोक प्राधकरण दवारा जारी कोई अन्य दस्तावेज ।
- 11. कसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचत सदस्य या उसके अधकारी या राजस्व अधकारी दवारा जारी कया गया प्रमाणपत्र ।
- 12. आवेदक के नाम पर बैंकों (प्राइवेट बैंकों सिहत) या डाकघर खातों से संबंधत और उनके दवारा जारी अभलेख और खाता ब्यौरे ।
- 13. आवेदक के नाम पर भारत में बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉ ल सयां।
- 14. आवेदक के नाम पर वद्युत संयोजन कागजात या वद्युत बिल या अन्य उपयो गता बिल ।
- 15. आवेदक के संबंध में न्यायालय या अधकरण अभलेख या आदे शकाएं।
- 16. कर्मचारी भ वष्य नि ध (ईपीएफ) साधारण भ वष्य नि ध प्रेंशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) दस्तावेजों द्वारा सम र्थत भारत में कसी नियोजक के अधीन सेवा या नियोजन द र्शत करने वाला दस्तावेज ।
- 17. भारत में जारी आवेदक का वद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र ।
- 18. वद्यालय या महा वद्यालय या बोर्ड या वश्व वद्यालय अथवा शासकीय संस्था द्वारा जारी कया गया अकाद मक प्रमाणपत्र ।
- 19. आवेदक को जारी कया गया नगरपा लका व्यापार लाइसेंस ।
- 20. ववाह प्रमाणपत्र ।

टिप्पण : (i) उपरोक्त दस्तावेज कसी भारतीय प्राधकरण द्वारा जारी कए जाने चाहिए और वे उनकी वैधता अवध के आगे भी स्वीकार्य होंगे ।

(ii) दस्तावेजों से यह सद्ध होना चाहिए क आवेदक ने भारत में 31.12.2014 को या उसके पूर्व प्रवेश कया था ।

\*\*\*\*\*

## अनुसूची 1ग [नियम 10क देखें] नागरिकता नियम, 2009

आवेदन के साथ प्रस्तुत कया जाने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त या नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ लया जाने वाला अनुप्रमा णत शपथ पत्र का नमूना [दस रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिए जाने हेतु]

<u>शपथ पत्र</u>
में, पुत्र युत्री यत्नी निवासी निवासी
सत्यनिष्ठा से यह घो षत और पुष्टि करता हूं क :
(i) मैं भारत में मेरे प्रवेश करने की तारीख को उस देश के हिन्दू/सख बौद्ध डीन पारसी ईसाई समुदाय
(जो लागू न हो उसे काट दे) का अफगान खांग्लादेशी पा कस्तानी नागरिक हूं और इस आवेदन को
प्रस्तुत करने की तारीख को उक्त समुदाय से ही संबंधत हूं और मैं (उक्त देश में पूरा
डाक पता लखें) पर निवास करता था ।
स्थानीय प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाणपत्र* संलग्न है ।
(ii) क मैं गृह मंत्रालय की अ धसूचना सं0 सा.का.नि. 685(अ) और आदेश सं0 सा.का.नि. 686(अ),
तारीख 07.09.2015 और अधसूचना सं0 सा.का.नि. 702(अ) और आदेश सं0 सा.का.नि. 703(अ),
तारीख 18.07.2016 के निबंधनानुसार पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधनियम, 1920 की धारा 3 की
उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन और वदे शयों वषय अधिनयम, 1946 या उसके अधीन बनाए
गए कसी नियम के उपबंधों या कए गए आदेशों के लागू होने से केंद्रीय सरकार द्वारा छूट प्राप्त हूं
I and the second
(iii) क मैंने भारत मेंको प्रवेश कया (यथा उपलब्ध तारीख, मास और वर्ष
दिया जाए)
(iv) मैं यह जानता हूं क नागरिकता अ धनियम, 1955 के अधीन मथ्या अभ्यावेदन करना या
कसी सारवान तथ्य को छिपाना अपराध है और यदि बाद में यह पाया जाता है क मेरे द्वारा इस
शपथ पत्र और या पात्रता प्रमाणपत्र में कोई गलत सूचना प्रस्तुत की जाती है तो मैं मेरी भारतीय
नागरिकता से आरंभ से ही वं चत हो जाऊंगा ।
<u>सत्यापन</u>
(तारीख, मास और वर्ष) को सत्या पत कया गया
क उपरोक्त शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और वश्वास के अनुसार सत्य और सही है
और उसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है ।
अ भसाक्षी

स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणन

<u>\*पात्रता प्रमाणपत्र</u> (स्थानीय प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाणपत्र का प्रारूप) <u>संबं धत व्यक्ति के लए</u>

मैं,(नाम)				पुत्र,पुत्री,प	त्नी			.(नाम)
निवासी	(पूरा	डाक	पता)	संपुष्ट	करता	हूं	क	मैं
श्री श्रीमती सुश्री		(अफगान	<i>म्</i> यांग्लादेशी	ो या कस्तानी	नागरि	रेक	का	नाम)
पुत्र युत्री यत्नी	.(नाम)	निवासी			(पूरा डाव	न् पता	) को	जानता
हूं और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और	वश्वास	के अनुसार	वह हिन्द्	्रसख्रबौद्ध	<i>र</i> जैन ⁄पारसी	<b>र्ह्सा</b> ई	समुदा	य (जो
लागू न हो उसे काट दे) से संबं	धत है	और वह उ	परोक्त व प	र्गत समुदाय	का निरंत	र सदर	स्य है	l
							(हर	ताक्षर)
				प्रमाण	पत्र देने व	ाले व्य	क्ति क	ा नाम
				सामुदार्ग	येक संस्थ	ा का न	गम औ	र पता
						दूरभाष	<i>म</i> ोबाइ	ल सं0
स्थान								
तारीख								